न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 154/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रायपुर सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0 जरिये प्रतिनिधि श्री संजय भण्डारी पुत्र श्री राजमल भण्डारी उम्र 52 वर्ष जाति जैन (भण्डारी) निवासी 10ए अमरविजय काम्प्लेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचंद रोड़ जयपुर जिला जयपुर राज0 हाल मुकाम मौजा रास द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली राज.		1. छोगा पुत्र उदा, 2. छोटु पुत्र उदा जातियान गुर्जर निवासीगण ढाणी खेड़ा भीवगढ़ तहसील जैतारण जिला पाली राज0। 3. तहसीलदार जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारीअधिनियम, 1955

तारीख रजू:.21/07/2017

उपस्थितः. 1. श्री एम.एस. पठान, अधिवक्ता, वादी

—:: निर्णय ::— दिनॉकः— 12/09/2017

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि रायपुर सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0 सरहद मौजा रास द्वितीय तहसील जैतारण में स्थापित है, उक्त रायपुर सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0 रास द्वितीय कम्पनी अधिनियम,1956 के तहत एक प्राईवेट लि0 कम्पनी के रुप में पंजीबद्ध है इस कम्पनी के सभी प्रकार के भूमि सम्बन्धित कार्यो के लिए बतौर मैनेजर श्री संजय भण्डारी नियुक्त व कार्यरत है व कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिए घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है व वाद प्रस्तुत करने का कम्पनी के अधिकार पत्र की प्रति वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा भीवगढ़ पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नं. 2398 रकबा 7—10 बीघा किस्म बा0 अव्वल वाके है जिसमें वादी कम्पनी 1/12 हिस्से यानि 12 बिस्वा 12 बिस्वान्सी की भूमि पर रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 20.01.2014 को वादी कम्पनी ने प्रतिवादीगण सं. एक व दो से खरीद की थी, तब से उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान की प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का एक भाग माना जावे, तथा विवादित आराजी को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा, उक्त खसरान की चालू जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का एक भाग माना जावें। प्रतिवादीगण सं. एक एवं दो ने अपने 1/12 वां हक हिस्से की भूमि जरिये लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 20.01.2014 को वादी कम्पनी को कर दी थी, तब से उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के वादी कम्पनी काबिज है व उपयोग—उपभोग कर रहे है उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान के आधार पर विवादित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं. एक व दो का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है मगर राजस्व वाद सं. 212/2014 अनवान श्री सीमेंट लि0 बनाम छोगा वगैरा के वाद में वादी कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिससे कारण उक्त वाद श्रीसीमेंट पक्ष में डिक्री किया गया, एवं डिक्री के आधार पर प्रतिवादीगण सं. एक व दो का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया, मगर प्रतिवादीगण सं. एक व दो ने अपने हक हिस्से की भूमि पूर्व में ही वादी कम्पनी को बैचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था अब उक्त भूमि में प्रतिवादीगण सं. एक एवं दो का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है तथा राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण सं. एक व दो का नाम रोंग एन्ट्री के रूप में दर्ज है इसीलिए उक्त रोंग एन्ट्री को दुरूस्त करवाने हेतु दिनांक 9.07.20.17 को वादी कम्पनी ने प्रतिवादीगण को कहा, मगर प्रतिवादीगण ने रेकर्ड दुरूस्त करवाने से मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण सं. एक व दो का लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 20.01.2014 के आधार पर अब किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण सं. एक व दो का नाम राजस्व रेकर्ड में एक रोंग

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

एन्ट्री के रुप में दर्ज है जिसे जरिये रेकर्ड दुरुस्त घोषित करवाने के वादी को पुरा कानूनी अधिकार है इसलिए दावा घोषणा बाबत् रेकर्ड दरूस्ती खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद घोषणा के वादी कम्पनी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगणगण को वादी के हक ,हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है वादी को अपूर्णीय क्षति होगी प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण सं. 3 तहसीलदार जैतारण विवादित कृषि भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है व उक्त वाद में आश्वयक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।बिनाय दावा दिनांक 9.07.2017 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवगढ (रास) में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस् तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजुद सम्मन सुचना / तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 03 ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम भींवगढ़ के ख.नं. 2398 में से छोगा छोटू पिता उदा कौम गुर्जर द्वारा अपने हिस्से की समपूर्ण भूमि का बेचान जरिये रजिस्ट्री दिनांक 20.01.2014 को रायपुर सीमेन्ट कम्पनी प्रा. लि. को किया गया। जिसका नामान्तरकरण सं. 1268 दायर किया गया। परन्तु उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 212/2014 के जरिये बेचानकर्ता छोगा छोटू पिता उदा का नाम पुनः दर्ज हो गया। जिसका ना. करण 1279 दर्ज किया गया। अतः ख.नं. 2398 रकबा 2–07 बीघा में रायपुर सीमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. के स्थान पर छोगा छोटू पिता उदा कौम गुजर का नाम दर्ज हो गया जो गलत इन्द्राज हैं। बहस वकील वादी सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात यथा जमाबन्दी 2072–75 एवं पंजीयन दस्तावेजात, तहसीलदार जैतारण की जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर वकील वादी द्वारा दौराने बहस दी गई दलीलों पर गहनता से गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–भीवंगढ़, पटवार हल्का–रास II, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2398 रकबा 2–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, में वादी कम्पनी को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक **12.09.2017** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0**

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. रायपुर सीमेंट कम्पनी प्रा0 लि0 जरिये प्रतिनिधि श्री संजय भण्डारी पुत्र श्री राजमल भण्डारी उम्र 52 वर्ष जाति जैन (भण्डारी) निवासी 10ए अमरविजय काम्प्लेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचंद रोड़ जयपुर जिला जयपुर राज0 हाल मुकाम मौजा रास द्वितीय तहसील जैतारण जिला पाली राज.

1. छोगा पुत्र उदा,
2. छोटु पुत्र उदा जातियान गुर्जर निवासीगण ढाणी खेड़ा भीवगढ़ तहसील जैतारण जिला पाली राज0।
3. तहसीलदार जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0:154/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री एम. एस. पठान, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–भीवंगढ़, पटवार हल्का–रास II, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 2398 रकबा 2–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, में वादी कम्पनी को प्रविदी संख्या 01 व 02 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का नाम रेकर्ड से हटाया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावें।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व षहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **12.09.2017** को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		–	महनताना वकील		
महनताना वकील		–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	-00	फीस कमीष्नर		
फीस कमीष्नर		–	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		–	मुत्फरिक		
मिजानः–	06	-00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner